ग्राम पंचायत

1 ग्राम पंचायत क्या है?

पंचायत राज संस्था एक स्वायत्त निकाय है। यह एक स्थानीय स्वशासन की संस्था है जो अपने आप में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी। यह ग्राम सरकार है जिसे ग्राम स्वराज के लिये काम करना है।

ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्था की तृणमूल स्तर की इकाई है जो इसके ''राज'' कहे जाने को सार्थकता प्रदान करती है। किसी भी ''राज'' से सम्बोधित होने वाले तंत्र के सामान्यतः तीन अधिकार होने आवश्यक हैं– कर लगाने का, योजना बनाने एवं क्रियान्वयन करने का और सुरक्षा दल गठित करने एवं संचालन करने का अधिकार। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में केवल ग्राम पंचायत ही ऐसी संस्था है जो ''राज'' होने की लगभग तीनों शर्तों को पूरा करती है। यह कर भी लगा सकती है, यह अपनी योजना बना कर उस पर अमल भी कर सकती है साथ ही यह ग्राम रक्षा दल के माध्यम से अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था कर सकती है, जो न पंचायत समिति कर सकती है और न ही जिला परिषद।

unicef

इसके अलावा, ग्राम पंचायत ही एकमात्र निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था है जिसे जनता को सीधे, आमने–सामने हो कर, जवाब देना होता है। इसके अलावा अपने अधिकतर कार्यकलापों के लिये मंजूरी लेनी पड़ती है या उनकी राय के अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है। इस स्थिति का सामना न तो पंचायत समिति को करना पड़ता है, ना ही जिला परिषद को, ना ही विधान सभा को और ना ही लोक सभा को।

इसलिये ग्राम पंचायत हमारे गणतंत्र की सबसे अनोखी संस्था है। यह अनोखी इसलिये भी है कि यह निर्वाचित सदस्यों की विशुद्ध सभा है। इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायत में केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद, विधान सभा, लोक सभा में निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत या किसी और संस्था के लिये निर्वाचित सदस्य भी इसकी बैठक में भाग लेते हैं। यहाँ तक कि इसका मुखिया भी जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा नहीं।

इसके अलावा ग्राम पंचायत ही हमारी सदियों पुरानी परम्परा से चली आ रही पंचायत व्यवस्था का संस्थागत एवं विकसित रूप है। इसके सदस्यों की संख्या भले ही बढ़ गई हो, उन्हें चुनने का ढंग बदल गया हो, उनका सामाजिक आधार बदल गया हो पर वे हैं जनता के बीच के ही। वे चुने जाने के बाद कहीं ''चले'' नहीं जाते हैं। अपने लोगों, अपने चुनने वालों के बीच ही उनका अभिन्न अंग बन कर रहते हैं।

इन्हीं सब कारणों से ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और इसके निर्वाचित सदस्य सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि। उनका उत्तरदायित्व सीधे जनता के प्रति है न कि प्रशासन या शासन के प्रति। इसलिये उनका सशक्त, जागरूक एवं सक्रिय होना पंचायती राज की पहली आवश्यकता है और निर्णायक लक्ष्य भी। यही कारण है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्र भौगोलिक या प्रशासनिक आधार पर न हो कर जनसंख्या आधारित है।

ग्राम पंचायत का क्षेत्र लगभग 7000 की जनसंख्या पर जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें एक से अधिक ग्राम (राजस्व गाँव) भी हो सकते हैं। जबकि बड़ी जनसंख्या वाले एक राजस्व गाँव में एक से अधिक ग्राम पंचायतें हो सकती हैं। आधार जनसंख्या ही होगी। हालांकि नाम से ऐसा लगता है कि, अधिनियम में दी गई परिभाषा के मुताबिक, ग्राम पंचायत एक राजस्व गाँव स्तर की पंचायत हो। पर ऐसा है नहीं। राजस्व गाँव तो ग्राम सभा का आधार है, ग्राम पंचायत का आधार नहीं।

वास्तव में कई राजस्व गाँव इतने बड़े हैं कि इनमें कई ग्राम पंचायतें हैं और अधिकतर ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि जिनमें कई राजस्व गाँव है। अतः उन्हें उतनी ही ग्राम सभाएँ करनी पड़ती है। और जिस राजस्व गाँव में कई ग्राम पंचायते हैं वे अपनी अलग–अलग ग्राम सभा गठित करती हैं।

2 ग्राम पंचायत की संरचना

- एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं।
- जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित यथा संभव 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है।
- ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है।
- ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव यथा संभव 500 की जनसंख्या पर अधिसूचित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए होता है।

3 ग्राम पंचायत की बैठक (धारा 20)

- ग्राम पंचायत की बैठक दो माह में कम–से–कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में करनी जरूरी है।

- बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, तिथि, समय एवं बैठक में विचारणीय विषय अंकित रहेगा।
- मुखिया जब भी उचित समझे तब और यदि एक तिहाई सदस्य बैठक करने के लिए लिखकर दें तो मुखिया को15 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलानी होगी।
- सात दिनों की सूचना पर साधारण बैठक बुलाई जायगी।
- तीन दिनों की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जायेगी।
- सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी बैठक में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- यदि मुखिया विशेष बैठक 15 दिनों के अन्दर नहीं बुलाता है तो उप–मुखिया या एक–तिहाई सदस्य 15 दिनों के अन्दर किसी दिन यह बैठक बुला सकेंगे। ग्राम पंचायत के सचिव, सदस्यों को बैठक की सूचना देगें।

4 बैठक में कोरम (सदस्यों की आवश्यक उपस्थिति) (धारा 21)

- बैठक का कोरम पूरा करने के लिये आधे निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है।
- यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो एक घंटा तक इन्तजार करने के बाद बैठक स्थगित कर दी जायेगी।
- स्थगित बैठक अगले दिन या किसी दूसरे दिन के लिये निर्धारित की जाएगी।
- स्थगित बैठक के लिये भी आधे सदस्यों का हाजिर होना जरूरी है।

- कोरम पूर्ति के बगैर ग्रामपंचायत की बैठक नहीं हो सकती। विधि सम्मत कोई निर्णय तब मान्य होगा, जब बैठक में कोरम पूरा होगा। बैठक में निर्णय बहुमत से होगा।
- यदि किसी मुद्दे पर निर्णय के दौरान मतदान की आवश्यकता हो तब बैठक की अध्यक्षता करने वाला मुखिया या उप–मुखिया अपना वोट देगा और मतों की समानता की स्थति में पुनः वह अपना निर्णायक वोट देगा।
- किसी बैठक में मुखिया या उप–मुखिया का कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित का मामला हो तो न तो वह अध्यक्षता करेगा, न बैठक में भाग लेगा और न ही मतदान करेगा।

5 ग्राम पंचायत के कार्य (धारा 22)

ग्राम पंचायत के जिम्मे 31 काम है :–

1. सामान्य कार्य

(i) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिये वार्षिक योजना बनाना।

(ii) वार्षिक बजट बनाना।

(iii) प्राकृतिक संकट में सहायता कार्य करना।

(iv) लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना।

(v) स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना।

(vi) गाँवों के आवश्यक आँकड़ों को तैयार करना।

2. कृषि जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है।

3. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन।

4. मत्स्य पालन

5. सामाजिक और फार्म वनोद्योग, लधु वन उत्पाद, ईंधन एवं चारा
6. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
7. ग्रामीण गृह निर्माण
8. पेयजल
9. सड़क, भवन, पुलिया, सेतु, फेरी, जल–मार्ग और अन्य संचार साधन
10. सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने और उनके रखरखाव के लिये बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण (बिजलीकरण)
11. गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत
12. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
13. शिक्षा/प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा सहित
14. वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा
15. पुस्तकालय
16. सांस्कृतिक एवं खेल–कूद कार्यकलाप
17. बाजार एवं मेले
18. ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
20. महिला एवं बाल–विकास
21. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्त (कमजोर) व्यक्तियों के कल्याण सहित समाजिक कल्याण

22. कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण
23. जनवितरण प्रणाली
24. सामुदायिक सम्पत्तियों का रखरखाव।
25. धर्मशालाओं, छात्रावासों आदि संस्थानों का निर्माण एवं अनुरक्षण।
26. कसाईखानों का निर्माण एवं रखरखाव।
27. सार्वजनिक पार्क, खेलकूद का मैदान आदि का रख–रखाव।
28. खटालों, काँजी हाऊस तथा ठेला स्टैण्ड का निर्माण एवं रख–रखाव।
29. सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादानों की व्यवस्था
30. झोपड़ियों एवं सड़कों का निर्माण एवं नियंत्रण तथा
31. ऐसे अन्य कार्य जो सौंपे जायें।

(ये सभी काम संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायत के तीनों स्तरों के लिये दर्ज किये गये हैं।)

6 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ (धारा 25)

ग्राम पंचायत के कामों को प्रभावी तरीके से निपटाने के लिये 6 तरह की समितियाँ है :–

1. योजना समन्वय एवं वित्त समिति
2. उत्पादन समिति
3. सामाजिक न्याय समिति
4. शिक्षा समिति

5. लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति
6. लोक निर्माण समिति

- प्रत्येक स्थायी समिति में अध्यक्ष सहित निर्वाचन द्वारा कम–से–कम तीन और अधिक से अधिक ग्राम पंचायत के पाँच निर्वाचित प्रतिनिधि ही इसके सदस्य होंगे।
- प्रत्येक समिति अपने कार्यों को प्रभावी रूप से निपटाने हेतु विशेषज्ञों एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में से अधिक से अधिक दो व्यक्तियों को कोऑप्ट (सम्वाचित) कर सकेगी जो ग्राम पंचायत सदस्य नहीं हों।
- योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा। कुल मिलाकर तीन से अधिक समिति का अध्यक्ष मुखिया नहीं होगा।
- मुखिया प्रत्येक समिति के लिये अध्यक्ष नामित (मनोनीत) करेगा।
- प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी।
- सामाजिक न्याय समिति में एक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होगा।
- ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य अधिकतम तीन समितियों में ही रह सकेगा।
- पंचायत सचिव योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होगा।
- जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी अन्य समितियों के सचिव के कार्य करने के लिये किसी सरकारी सेवक को नामित (मनोनीत) करेगा।

7 ग्राम पंचायत की सम्पति और निधि

- ग्राम पंचायत को सम्पत्ति अर्जित करने, रखने, निपटारा करने और संविदा (कंट्रैक्ट) करने का अधिकार है, किन्तु अचल सम्पत्ति अर्जित करने हेतु सरकार से पहले स्वीकृति लेनी आवश्यक है।

- केंन्द्र या राज्य सरकार का स्थानीय प्राधिकारी या अन्य ग्राम पंचायत की ऐसी सम्पत्ति जो ग्राम पंचायत के अनुरक्षण (रखरखाव) में हो को छोड़कर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र की अन्य सम्पत्तियाँ ग्राम पंचायत में निहित हो जायेंगी। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्राम पंचायत करेगी।

- राज्य सरकार किसी ग्रामपंचायत के अन्तर्गत उपलब्ध कोई सार्वजनिक सम्पत्ति उसे आवंटित कर सकती है और तब वह सम्पत्ति ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होगी।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के नाम से ग्राम पंचायत निधि होगी। इसमें निम्न रकम जमा होगी

— केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिया अंशदान या अनुदान।

— जिला परिषद्, पंचायत समिति या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान।

— केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया ऋण।

— ग्रामपंचायत द्वारा वसूली गई कर, दर और फीस की सभी राशि।

— ग्राम पंचायत के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखे गये या ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित और निहित किसी भी विद्यालय, अस्पताल, भवन, संस्था एवं निर्माण से संबंधित सभी राशि।

— ग्राम पंचायत के पक्ष में किसी न्यास या धर्मस्व से होने वाली सभी आय या अंशदान के रूप में प्राप्त की गई सभी राशियाँ।

— इस अधिनियम के अधीन और यथा निर्दिष्ट लगाये गये जुर्माने का रकम।

— ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त होने वाली अन्य राशियाँ।

प्रत्येक ग्राम पंचायत वार्षिक तौर पर निम्नलिखित खर्चो के लिए राशि अलग रखेगी :

- प्रशासनिक खर्च, जिसमें इसके पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं सचिव के वेतन, भत्ता, भविष्य निधि, उपादान (ग्रेच्यूटी) का भुगतान करना शामिल है।
- ऐसी राशि ग्राम पंचायत खर्च कर सकेगी जो इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उचित हो।
- ग्राम पंचायत निधि की जमा राशि निर्धारित अभिरक्षा (कस्टडी) में रखी जायगी।

7A ग्राम पंचायत द्वारा करारोपण

सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पर वार्षिक कर लगा सकेगी

- होल्डिंग के दखलकार पर

- ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत चलाये जाने वाले या अवस्थित व्यवसाय, व्यापार, पेशों, नियोजनों से प्राप्त होने वाले कुल वार्षिक आमदनी के आधार पर कर।

सरकार द्वारा निर्धारित निम्न फीस और दर वसूल कर सकेगीं

- ऐसे वाहनों पर फीस जो अन्य कानून के तहत निबंधित न हो।
- सरकार द्वारा अधिसूचित और निर्धारित ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर पड़ने वाले तीर्थस्थल, हाटों, मेलों और जनता के उपयोग में आनेवाले साधनों पर शुल्क।
- ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र के अन्दर जहाँ पीने, सिंचाई या अन्य कार्यों के लिए पानी की व्यवस्था करेगी वहाँ जल कर।
- ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में जहां सार्वजनिक गलियों स्थानों पर प्रकाश का प्रबंध करे वहाँ प्रकाश शुल्क।
- ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र के अन्दर जहाँ निजी शौचालय, पेशाबखाना गड्ढ़ों (कूड़ा फेकने हेतु हौज) की सफाई का प्रबधं करे वहाँ स्वच्छता शुल्क।

7B ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता

- इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर अधिसूचित किये जाने के बाद राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान ग्राम पंचायत प्राप्त कर सकेगी।

8 मुखिया एवं उप–मुखिया का चुनाव (धारा 15)

- मुखिया का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए होता है।
- मुखिया का पद खाली होने पर पुनः चुनाव सीधे मतदान के जरिए होता है।
- यदि मुखिया का पद 6 माह से कम समय के लिये खाली हो तो चुनाव नहीं कराया जायेगा।
- ग्राम पंचायत सदस्य अपने बीच से ही बहुमत द्वारा एक उप–मुखिया का चुनाव करते हैं
- उप–मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा।
- उप–मुखिया के चुनाव में मतों की बराबरी की हालत में परिणाम लॉटरी के जरिए तय किया जाएगा।
- मुखिया और उप–मुखिया दोनों की जगह यदि एक साथ किसी कारण से खाली हो जाती है तो कार्यपालक पदाधिकारी (बी0डी0ओ0) 15 दिनों के भीतर उप–मुखिया के चुनाव के लिये बैठक बुलाएगा, जिसके लिये सदस्यों को कम से कम 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी।
- कार्यपालक पदाधिकारी बैठक की अध्यक्षता करेगा लेकिन वह खुद मतदान नहीं करेगा।
- चुनाव में मतों की बराबरी की हालत में उप–मुखिया का परिणाम लॉटरी के जरिए तय किया जाएगा।

9 मुखिया और उप–मुखिया के अधिकार, और कर्त्तव्य (धारा 17)

मुखिया

- ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना।
- ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना।
- ग्राम पंचायत के अभिलेखों का सही ढंग से संधारण करना।
- ग्राम पंचायत की वित्तीय और प्रशासन व्यवस्था की देखभाल करना।
- ग्राम पंचायत के कर्मचारियों, अधिकारियों और वैसे कर्मचारियों जिनकी सेवा ग्राम पंचायत के अधीन सौंपी गई हो, उनके काम पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- अधिनियम से संबंधित कार्यों को करने के लिये ऐसे अधिकार का प्रयोग, कार्यों का निपटारा एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा सके।
- ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग, कार्यों का निपटारा एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा अथवा अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा सौंपे गये हों।
- इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई नियमावली के आलोक में ग्राम पंचायत को सौंपे गए कार्यों को मुखिया अपने स्तर से सम्पादित नहीं करेगा। जैसे, किसी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन अगर ग्राम पंचायत के स्तर पर होना है तो मुखिया अपने स्तर पर ऐसे व्यक्तियों का चयन नहीं करेगा।

उपमुखिया

- उप–मुखिया, मुखिया के ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कार्यों का निपटारा एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के अधीन लिखित रूप में मुखिया द्वारा सौंपा जाए।
- मुखिया की अनुपस्थिति में सभी अधिकारों का प्रयोग, कार्यों का निपटारा एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा।
- उप–मुखिया ऐसे अन्य अधिकार का प्रयोग, कार्यों का निपटारा एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा अथवा सरकार द्वारा सौंपे गये हों।

10 मुखिया या उप–मुखिया का त्याग–पत्र या उन्हें पद से हटाया जाना। (धारा 18)

- मुखिया या उप–मुखिया स्वंय जिला पंचायत राज पदाधिकारी को लिखित रूप से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेगा।
- यदि सात दिनों के अन्दर वह त्याग–पत्र वापस नहीं लेगा तो अगले दिन से त्याग–पत्र स्वीकृत हो जाएगा।
- यदि उप–मुखिया ग्राम पंचायत का सदस्य न रह जाये तो उसका पद खाली हो जाएगा।
- ग्राम पंचायत सदस्य खुद लिख कर अपना त्याग पत्र मुखिया को देगें और सात दिनों के अन्दर वापस नहीं लेने पर वह स्वीकृत हो जायेगा।

11 अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मुखिया को हटाया जाना।

- प्रत्येक मुखिया का पद उसी समय से खाली माना जाएगा जब से विशेष बैठक में कुल मतदाताओं की संख्या के साधारण बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए।
- विशेष बैठक के लिये कुल मतदाताओं का कम–से–कम पाचवाँ हिस्सा अपने हस्ताक्षर सहित जिला पंचायतराज पदाधिकारी को लिखित देगा।
- जिला पंचायत राज पदाधिकारी 7 दिनों के अन्दर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा।
- बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर विशेष बैठक आयोजित की जायेगी, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी करेंगे।
- मुखिया की पदावधि के प्रथम दो वर्षों में उनके विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।
- मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।
- कार्यकाल के अन्तिम 6 माह शेष रहने के दौरान मुखिया के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

11A अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उप–मुखिया को हटाया जाना।

- प्रत्येक उप–मुखिया का पद उसी समय से खाली माना जाएगा जिस समय से विशेष बैठक में ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित

सदस्यों एवं मुखिया की कुल संख्या के साधाराण बहुमत से अविशवास प्रस्ताव पारित कर दे।

- विशेष बैठक के लिए निर्धारित सदस्यों के कम–से–कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से मुखिया को लिखित सूचना दी जायेगी।
- मुखिया 7 दिनों के अन्दर विशेष बैठक ग्राम पंचायत कार्यालय में बुलायेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा।
- उप–मुखिया की पदावधि के प्रथम दो वर्षों में उनके विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।
- उप–मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।
- कार्यकाल के अंतिम 6 माह शेष रहने के दौरान उप–मुखिया के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

11B आयुक्त द्वारा मुखिया, उप–मुखिया को हटाया जाना।

- मुखिया या उप–मुखिया के द्वारा बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में गैरहाजिर होने, या जानबूझकर अपने कार्यो से इनकार करने या उपेक्षा करने या दिये गये अधिकार का दुरूपयोग करने या कर्त्तव्य के पालन में दुराचार का दोषी पाये जाने या कर्त्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक तौर पर असमर्थ होने या किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त होने पर या 6 माह से अधिक फरार होने पर मुखिया या उप–मुखिया से स्पष्टीकरण पूछ कर आयुक्त उन्हें अपने पद से हटा सकेगा।
- हटाया गया मुखिया या उप–मुखिया शेष अवधि के लिये पुनः निर्वाचन के योग्य नहीं होगा।

- आयुक्त के आदेश के विरूद्ध सदस्य, राजस्व पर्षद के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

12 ग्राम रक्षा दल का गठन (धारा 33)

- सामान्य पहरा एवं निगरानी तथा आकस्मिक घटनाओं जैसे अगलगी, बाढ़, बाँध में दरार, पुल का टूटना, महामारी का फैलना, चोरी, डकैती का सामना करने के लिये एक दलपति के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जाएगा।
- ग्राम के 18 से 30 वर्ष के बीच के शारीरिक रूप से सभी योग्य व्यक्ति उक्त दल के सदस्य होंगे।

13 ग्राम पंचायत का बजट

- प्रत्येक ग्राम पंचायत अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनायेगी और ग्राम पंचायत बैठक में बहुमत से उसे स्वीकृत करेगी। इस बैठक में ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

14 लेखा

- प्रत्येक ग्राम पंचायत विहित प्रपत्र (फार्म) में निर्धारित तरीके से आय–व्यय–लेखा का संधारण करेगी।

15 अंकेक्षण

- सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के लेखा का अंकेक्षण (आडिट) कराया जायगा और उसकी एक प्रति एक माह के अन्दर सम्बंधित ग्राम पंचायत को दी जायगी।

16 समन्वय

ग्राम पंचायत की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसके विभिन्न अंग ठीक से काम करें। ये अंग हैं : स्वयं वोटर जो ग्राम सभा के सदस्य के रूप में सक्रिय होते हैं, निगरानी समितियाँ जिनका गठन ग्राम सभा में होता है, ग्राम पंचायत सदस्य जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है, उप–मुखिया, मुखिया एवं स्थायी समिति जिनका गठन ग्राम पंचायत करता है। इन सब की अपनी–अपनी भूमिकायें हैं, जिसमें थोड़ी–सी भी कमी आने पर ग्राम पंचायत के पूरे काम पर असर पड़ता है।

स्वयं वोटरों की भूमिका सिर्फ वोट देने से समाप्त नहीं होती। इसके लिए आवश्यक है कि वे ग्राम सभा की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी बात रखें तथा अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से ग्राम पंचायत की बैठक में अपनी समस्याओं को रखवायें। निगरानी समिति के गठन में भाग लेकर स्वयं ग्राम पंचायत के कामों पर नजर रखें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता दान देकर उसको ठीक ढंग से लागू करवायें।

निगरानी समितियां जितनी सक्रिय होंगी उतनी ही अधिक अच्छी तरह से ग्राम पंचायत के कार्य कलापों पर नजर रखी जा सकेगी तथा ग्राम सभा में उन पर चर्चा की जा सकेगी।

ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका है कि वे अधिक–से–अधिक संख्या में अपने क्षेत्रों के वोटरों (ग्राम सभा सदस्यों) को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिये उत्प्रेरित करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को ग्राम पंचायत की बैठक में उसके निदान हेतु रखें तथा स्थायी समिति में सक्रिय सदस्य की भूमिका निभायें। इसके अतिरिक्त, अपने क्षेत्र का आँकड़ा आदि इकट्ठा करने में, सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को सही मंच पर रखने का काम करें। उप–मुखिया की भूमिका

को लोग महत्व नहीं देते। पर ऐसा नहीं। उसकी भूमिका मुखिया की अनुपस्थिति में तो है ही, पर उसके अलावा भी वह सामान्य स्थिति में ग्राम पंचायत के संस्थागत प्रबन्धन में तथा स्थायी समितियों के काम–काज में अहम भूमिका निभा सकता है।

मुखिया ग्राम पंचायत का मुख्य प्रतिनिधि होता है। अगर वह अच्छा प्रबन्धक, नियोजक एवं संगठनकर्त्ता है तो सारा ग्राम पंचायत सामाजिक एवं आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। इसीलिये, सामान्यतः लोग ग्राम पंचायत का मतलब मुखिया समझने की गलती करते हैं। परन्तु ऐसा है नहीं। मुखिया ग्राम पंचायत का केवल प्रधान कार्यकर्त्ता है जिस पर ग्राम–सभा, ग्राम पंचायत एवं स्थायी समितियों का बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। एक सफल मुखिया ही पंचायत समिति या अन्य मंचों पर अपने पंचायत की बातों को ठीक से रख सकता है।

छह स्थायी समितियों की भूमिका ग्राम पंचायत में होने वाले सारे कार्य कलापों के करने से है। इसीलिये इन समितियों का उत्तरदायित्त्व सीधे अपने क्षेत्र के समाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़ जाता है। ये समितियां वास्तव में ग्राम पंचायत की रीढ़ हैं। ये ग्राम पंचायत के प्रजातांत्रिक स्वरूप के परिचायक हैं। इनमें परस्पर समन्वय अत्यंत आवश्यक है।